सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

फाल्गुन 16, शनिवार, *शाके* 1947- मार्च 07, 2026
Phalguna 16, Saturday, Saka 1947- March 07, 2026

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर

अधिसूचना

उदयपुर, फरवरी 05, 2026

संख्या F.32(B)(After Policy 2026-27)/EX/L/2026-06481-9018219-part(1)-9060085/683 :-राज्य सरकार की आज्ञाक्रमांक प.4(1)वित्त/आब/2026 दिनांक 27जनवरी, 2026 के द्वारा जारीआबकारी एवं मद्य-संयम नीति वर्ष 2025-29 में संशोधन के बिन्दु संख्या 3.8.4 के प्रावधानुसार देशी मदिरा, भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर निर्गम एवं विक्रय मूल्य नियम, 1997 के नियम 3 में प्रदत्त शक्तियों के तहत ई.एन.ए. से निर्मित देशी मदिरा /राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) की निम्नांकित श्रेणियों का वर्ष 2026-27हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य का निम्नानुसार निर्धारण किया जाता है :-

क्र.स	ENA निर्मित मदिरा का प्रकार	180 एम.एल. निप्स का न्यूनतम फुटकर विक्रय मूल्य (MSP) राशि रूपयों में	180 एम.एल. निप्स का अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य (MRP) राशि रूपयों में
1	देशी मदिरा 40 यूपी ग्लास पात्र	60	72
2	देशी मदिरा 40 यूपी पेट पात्र	55	66
3	देशी मदिरा 40 यूपी एसेप्टिक पैक	58	70
4	देशी मदिरा 50 यूपी पेट पात्र	50	60
5	राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) ग्लास पात्र	82	99
6	राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) पेट पात्र	75	90
7	राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) एसेप्टिक पैक	80	96

- उक्त अधिसूचना 01.04.2026 से प्रभावी रहेगी।

शिवप्रसाद नकाते,
आबकारी आयुक्त,राजस्थान।

22805
राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।